न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1410–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–4–14 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, डबरा प्रकरण कमांक 18/12–13/अपील.

1– किशन सिंह पुत्र स्व. श्री बद्री कुशवाह
2– हुकम सिंह पुत्र स्व. श्री बद्री कुशवाह
निवासीगण ग्राम छीमक
तहसील डबरा जिला ग्वालियर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– प्रीतम सिंह कुशवाह पुत्र स्व. श्री मुंगलिया
निवासी ग्राम छीमक
तहसील डबरा जिला ग्वालियर
2– रामोबाई पुत्री स्व. श्री बद्री कुशवाह
पत्नी नत्थाराम कुशवाह
हाल निवासी हनुमानगंज डांडा
मिश्रा स्कूल के पास, डबरा
जिला ग्वालियर
3– रामाबाई पुत्री स्व. श्री मंगलिया
पत्नी पूरन सिंह कुशवाह
निवासी ग्राम छिरेंटा
तहसील भितरवार जिला ग्वालियर
4– फूलवती पुत्री स्व. श्री मंगलिया
पत्नी कल्यान सिंह कुशवाह
निवासी किशनपुर का चक
तहसील चिनौर जिला ग्वालियर
5– नारायण सिंह पुत्र मंगलिया कुशवाह
6– मनोज पत्र भगवान सिंह कुशवाह
7– राजेन्द्र सिंह पुत्र भगवान सिंह कुशवाह
8– सोमवती पुत्री भगवान सिंह कुशवाह
अनावेदक कमांक 7 से 8 अव्यस्क
पुत्र भगवान सिंह कुशवाह द्वारा संरक्षक
चाचा नारायण सिंह कुशवाह
पुत्र मंगलिया कुशवाह
समस्त निवासीगण ग्राम छीमक
तहसील डबरा जिला ग्वालियर

श्री एस.के. बाजपेयी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री रामसेवक शर्मा, अभिभाषक एवं
श्री रामचरण लाल, अभिभाषक अनावेदक कमांक 1
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 2 से 6

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/9/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, डबरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–4–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 प्रीतम सिंह द्वारा तहसील न्यायालय के नामांतरण पंजी कमांक 30 पर पारित आदेश दिनांक 1–6–92 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, डबरा के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 24–11–2012 को लगभग 20 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई । साथ ही विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । चूंकि अनावेदक कमांक 1 तहसील न्यायालय में पक्षकार नहीं था, इसलिए अपील प्रस्तुत करने हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उभय पक्ष को सुना जाकर दिनांक 22–4–14 को अंतरिम आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन एवं अपील अनुमति आवेदन पत्र स्वीकार किये गये एवं अनावेदक कमांक 3 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी दिनांक 4–4–2014 को केवल अपील अनुमति आवेदन पत्र पर तर्क सुने गये थे, अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र पर तर्क श्रवण नहीं किये गये थे, इसके बावजूद भी अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार कर विलम्ब क्षमा करने में गंभीर भूल की गई है । यह भी कहा गया कि जिस बिन्दु पर तर्क श्रवण नहीं किये गये हैं, उस पर भी आदेश पारित करने में न्यायालयीन प्रकिया एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत कार्यवाही की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि तहसील

न्यायालय द्वारा दिनांक 1–6–92 को अनावेदक कमांक 1 की उपस्थिति में आदेश पारित किया गया था, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में त्रुटि की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 1–6–92 को अनावेदक कमांक 1 की मां बिट्टो बाई जीवित थी, उनकी मृत्यु दिनांक 2–2–2002 को 10 वर्ष पश्चात हुई है, और बिट्टो बाई द्वारा अपने जीवनकाल में नामांतरण आदेश को चुनौती नहीं दी गई है, इसलिए अनावेदक कमांक 1 परिवेदित पक्षकार नहीं है । यह भी कहा गया कि अनावेदक कमांक 1 की मां बिट्टो बाई एवं बहन रामाबाई द्वारा दी गई सहमति के आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है, जो वैधानिक एवं उचित आदेश है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर आवेदकगण को जवाब प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदक कमांक 1 प्रश्नाधीन भूमि में हितबद्ध पक्षकार है, परन्तु तहसील न्यायालय द्वारा न तो उसे पक्षकार बनाया गया, और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील अनुमति का आवेदन पत्र एवं अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जा रहा है, और वे तहसील न्यायालय के नामांतरण आदेश की वैधानिकता को प्रमाणित कर सकते हैं, परन्तु उनके द्वारा तकनीकी आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) अनावेदक कमांक 1 की मॉ तथा बहन द्वारा नामांतरण आदेश में किसी प्रकार की कोई सहमति हीं दी गई है ।

(3) पटवारी द्वारा नामांतरण पंजी कमांक 30 अंकित करते समय जो सजरा बनाया गया है, उसमें मृतक बद्री के वारिसान के रूप में बिट्टो बाई एवं रामो बाई को दर्शाया गया है, परन्तु यह गलत टीप अंकित करते हुए कि बिट्टो बाई रामो बाई को हिस्सा नहीं चाहिए, नामांतरण आदेश पारित करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है ।

(4) तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी अनावेदक कमांक 1 को सर्वप्रथम दिनांक 30–9–12 को हुई, और उसके द्वारा तत्काल सत्यप्रतिलिपि प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई है, जिसे समय–सीमा में मान्य करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

5/ अनावेदक कमांक 2 लगायत 6 के अभिभाषक द्वारा अनावेदक कमांक 1 के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों को समर्थन दिया गया ।

6/ अनावेदक कमांक 7 एवं 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

7/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । नामांतरण पंजी कमांक 30 पर पारित आदेश दिनांक 1–6–92 से तहसील न्यायालय द्वारा मृतक भूमिस्वामी बद्री कुशवाह के वारिसानों का नामांतरण स्वीकृत किया गया है, और उक्त नामांतरण में अनावेदकगण को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है, जबकि वे प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार हैं । इस प्रकार तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 109, 110 के अंतर्गत बने नामांतरण नियमों के नियम 27 के आज्ञापक प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उनके समक्ष विलम्ब से प्रस्तुत अपील को समयावधि में मान्य करने में पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है । चूंकि तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदकगण को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई थी, और न ही उन्हें पक्षकार बनाया गया था, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति देने में भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है, इसलिए उनका आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है । दर्शित परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, डबरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–4–14 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर